

**The office of the Chief Electoral Officer, Delhi is framing Recruitment Rules for the post of Law Officer and Librarian.**

**All the Stakeholders are requested to provide comments in this regard, if any, within 30 days. The draft RRs enclosed.**



In case of recruitment by Promotion/ Deputation /Absorption, Grade from which Promotion/ Deputation/ Absorption to be made.

11

Deputation (including short term contract) : Officer from the Central / State Government / Union Territories:

1.(i) Holding analogous post on regular basis in parent cadre / department.

(ii) Degree in Law of a recognized university

(iii) With at least five years experience in legal work in a Government Department or Semi Government Organization or Public Sector Autonomous Bodies or as a Legal Practitioner.

OR

2(i)L.L.M. from a recognized university

(ii) At least three years experience in legal work in a Government Department or Semi Government Organization or Public Sector Autonomous Bodies.

Note : 1

Period of Deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years.

Note : 2

The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract)/ absorption shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

Deputation : Officer from the Central / State Government / Union Territories:

(a)(i). Holding analogous post on regular basis in parent cadre / department.

OR

(ii) Five years service rendered on regular basis in the pay level 6 (35400 – 112400) of Pay Matrix (Pre-revised – PB2, 9300-34800 + GP Rs. 4200/-), or equivalent in parent cadre/ department.

OR

(iii) with Eleven years service rendered on regular basis in the pay level 5 (29200 – 92300) of Pay Matrix (Pre-revised – PB1, 5200-20200 + GP Rs.2800/-), or equivalent in parent cadre/ department.

Possessing the following educational qualifications and experience:

(i) Bachelor's Degree in Library Science from a recognized university and two years professional experience in Library of Standing.

Note : 1

Period of Deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years.

Note : 2

The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract)/ absorption shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13
Not applicable.	As the post of Law Officer is Group-'B' Non-Gazetted, consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
Not applicable.	As the post of Librarian is Group-'B' Non-Gazetted, consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

By order and in the name of the  
Lt. Governor of the National  
Capital Territory of Delhi

(SATENDRA KUMAR)  
ELECTION OFFICER (ADMN.)

F. No.CEO/Admn./106 (17)/RRs/2017/

Dated:

Copy forwarded for information to therein:-

1. The Chief Secretary, Delhi, GNCT of Delhi, 5<sup>th</sup> Level, A-Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
2. The Pr. Secretary (Services), Deptt. of Services, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
3. The Pr. Secretary (Finance), Deptt. of Finance, 4<sup>th</sup> Level, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Pr. Secretary (Planning), Deptt. of Planning, 6<sup>th</sup> Level, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Pr. Secretary, Deptt. of Law Justice & Legislative Affairs, 8<sup>th</sup> Level, C-Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Pr. Secretary, Deptt. of General Administration, 2<sup>nd</sup> Level, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Secretary (AR), Administrative Reforms Department, 7<sup>th</sup> Level, C- Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Director, Dte. of Information and Publicity, GNCT of Delhi, Block No.IX, Old Sectt., Delhi-110054 for their record.
9. The Principal Secretary of Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi.
10. All District Election Officers of 11 districts, Delhi/New Delhi.
11. All branches of CEO (HQ), Delhi
12. Guard file.

(SATENDRA KUMAR)  
ELECTION OFFICER (ADMN.)

**अनुसूची**

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. दिष्टि अधिकारी	1* (2019) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7, 44900--112400/- रुपये ) (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रुपये) + ग्रेड पे 4600/-रुपये	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)
2. पुस्तकालयाध्यक्ष	1* (2019) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7, 44900--112400/- रुपये ) (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रुपये) + ग्रेड पे 4600/-रुपये	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा

यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है

11

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्र सरकार/राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी :

1 (i) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले, अथवा

(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि

(iii) सरकारी विभाग अथवा अर्धसरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, स्वायत्त निकायों अथवा विधि प्रैक्टिशनर के रूप में विधिक कार्य में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव, अथवा

2.(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एल.एल.एम.

(ii) सरकारी विभाग अथवा अर्धसरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, स्वायत्त निकायों में विधिक कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, अथवा

टीप - 1 केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

टीप - 2 प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति/ विलयन हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्र सरकार/राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी :

क (i) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले, अथवा

(ii) वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर -6 (35400-112400/-रु०) (पूर्व संशोधित - पे बैंड-2, 9300 -34800/- + ग्रेड पे 4200/-रुपये) में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग /विभाग में समकक्ष, अथवा

(iii) वेतन मैट्रिक्स का वेतन स्तर -5 (29200-92300/-रु०) (पूर्व संशोधित - पे बैंड-1, 5200 -20200/- + ग्रेड पे 2800/-रुपये) में नियमित आधार पर ग्यारह वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग /विभाग में समकक्ष।

निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की उपाधि तथा पुस्तकालय विधा में दो वर्षीय व्यवसायिक अनुभव।

टीप - 1 केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

टीप - 2 प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति/ विलयन हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
12	13
लागू नहीं	विधि अधिकारी समूह 'ख' अराजपत्रित के पद हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
लागू नहीं	पुस्तकालयाध्यक्ष, समूह 'ख' अराजपत्रित के पद हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(सत्येन्द्र कुमार)  
चुनाव अधिकारी(प्रशासन)

सं० सीईओ/प्रशा०/106(17)/आरआर/2017

दिनांक: .....

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पांचवा तल, ए विंग, दिल्ली सचिवालय, आईपीएस्टेट, नई दिल्ली।
2. प्रधान सचिव (सेवारं), सेवारं विभाग, दिल्ली सचिवालय, आईपीएस्टेट, नई दिल्ली।
3. सचिव (वित्त), वित्त विभाग, चौथा तल, दिल्ली सचिवालय, आईपीएस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (योजना), योजना विभाग, छठा तल, दिल्ली सचिवालय, आईपीएस्टेट, नई दिल्ली।
5. प्रधान सचिव (विधि एवं न्याय), विधि एवं न्याय विभाग, 8वां तल, दिल्ली सचिवालय, आईपीएस्टेट, नई दिल्ली।
6. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, दूसरा तल, दिल्ली सचिवालय, आईपीएस्टेट, नई दिल्ली।
7. सचिव (प्रशासनिक सुधार) प्रशासनिक सुधार विभाग, 7वां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, आईपीएस्टेट, नई दिल्ली।
8. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, ब्लॉक नं० 9, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054 को अभिलेख हेतु।
9. प्रधान सचिव, चुनाव आयोग भारत, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली।
10. ग्यारह जिलों, दिल्ली / नई दिल्ली के समस्त जिला चुनाव अधिकारी।
11. समस्त शाखायें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (मुख्यालय) दिल्ली।
12. गार्ड फाइल।

(सत्येन्द्र कुमार)  
चुनाव अधिकारी(प्रशासन)